

FORM NO. III

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतराफर्द अहकाम
(नियम-26)

2019/00247

11/19

अदालत

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नियम

पेशी

श्री: जीविराम

बनाम विप्राधीन/ भूमिदासी तहसील दार कीया

4/19

सम मुकदमा

131, 136, R.L.R.A.P.

नं. 177 सन 2019

17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-8-19	<p>प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री. विप्राधीन ने अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया बाद पत्र रजिस्टर हो विप्राधीनगण को प्रार्थना पत्र के सम्मन मय प्रार्थना पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक 3-9-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	2 5 7
8/9/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 1/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
11/10/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राधीनगण अनुपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाद्विर क्रिया की शौज गम थोक के तहसील पंचायत के खलल नं०</p>	

1497/904 स्ख्या 51 बीघा 12 बिस्वा,

खलरा न. 1513/933 स्ख्या 18 बीघा

05 बिस्वा, खलरा न. 1520/1010

स्ख्या 33 बीघा 19 बिस्वा कुप स्ख्या

106 बीघा 15 बिस्वा स्वे सरहद

भीजा समनगर के खलरा न.

607/1449 स्ख्या 44 बीघा 00 बिस्वा

में स्थित है। प्रार्थी को ज्ञापन से

जेवीराम के नाम से जाना व पहचाना

था। प्रार्थी के पिता भी शत्रु होने

के पश्चात राजस्व अधिकार में खातेदारी

में जेवीराम पुत्र स्वल्प कोष चौधरी

नाम इतंभित कर दिया था। पञ्जमे

वर्तमान में जोधरराम के नाम से

ही जाना व पहचाना जाता है।

जोधरराम के नाम से प्रार्थी का

जोहर कार्ड, अख्बार कार्ड, सहकारी

किमान कार्ड, सरान कार्ड, एवं भागशाह

में प्रार्थी का नाम सही नाम जोधरराम

है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में

अच्छ नाम जेवीराम वरुद स्वल्पराम

की जगह सुइ व सही नाम जोधरराम

पुत्र स्वल्पराम दर्ज करने का निर्वेदन

किया है।

उसने पत्रावली व पत्रावली के

संपन्न दस्तावेज, आधार कार्ड,
पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं
आमराह, किलान कार्ड का
अवलोकन व अध्ययन किया गया।
प्राची को सुना गया। उक्त प्राची
का प्रपिना का स्वीकार किया
जाता है। तहसीलदार पंचपदरा
को आदेशित किया जाता है कि
प्राची के उक्त आराजी राज्य
ग्राम में प्राची का अष्टुह नाम
शेखराम पुत्र स्वतपराय के स्थान
पर शेखराम पुत्र स्वतपराय जाति
चौधरी शुभ नाम राज्य रेकर्ड
में डकलत करें।
पतावली केसल सुमार होकर
शास्त्रिय दफ्तर हो।
आदेश शुभे न्यायालय में
दिनांक 11/01/19 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा